

बि. लो. से. आ.	B.P.S.C	परीक्षा EXAM.
परीक्षार्थी के लिए आवश्यक अनुदेश		विषय SUB. <u>Political System of India</u>
इन्हें सावधानी से पढ़ें और इसका अनुपालन करें, अन्यथा दंड के भागी होंगे।		तिथि DATE. <u>12.01.2025</u>
1. इस उत्तर पुस्तिका में (52) क्रमांकित पृष्ठ हैं। इसका सत्यापन कर लें। त्रुटि/कमी होने पर उत्तर पुस्तिका बदलवा लें।	प्रश्न संख्या Q.No.	उत्तर की पृष्ठ संख्या Pg. No. of Answer
2. प्रवेश पत्र से मिलान कर केवल इस आवरण पृष्ठ पर विहित स्थान पर 'अपना नाम एवं अनुक्रमांक' [Enrollment Number] अंतराष्ट्रीय अंको तथा अक्षरों में लिखें। परीक्षा और विषय का नाम भी नियत स्थानों पर लिखें।		प्राप्तांक Marks Obtained
3. अनुक्रमांक के सभी अंक अलग-अलग भाग बॉक्स में लिखें। 'शब्दों' में प्रत्येक अंक ठीक उसके नीचे, लम्बे बॉक्स में अक्षरवार लिखें।	1.	1-10
4. उत्तर पुस्तिका के अन्दर किसी पृष्ठ पर प्रश्नोत्तर के अलावा अपना नाम, अनुक्रमांक, अन्य कोई [धार्मिक] शब्द या पहचान चिन्ह नहीं लिखें अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जायगी।	2.	11-15
5. उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ लिखें। पुस्तिका के शेष बचे सभी सादे पृष्ठों (अंश सहित) को पूरी तरह क्रॉस [X] कर दें।	3.	16-19
6. अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।	4.	21-22
7. बाहिरी और विहित घेरा में उचित प्रश्न को क्रम संख्या के सामने उत्तर की पृष्ठ संख्या लिखें।	5.	
8. उत्तरपत्र पत्र पर प्रत्येक परीक्षा के लिए वही हस्ताक्षर करें जो उत्तरपत्र पत्र पर अपने पूर्व में किया है। अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी।	6.	36-40
9. प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थायी में लिखें। यदि स्थायी बदलनी पड़े तो इन आयोग का निरीक्षक (Invigilator) से आवरण पृष्ठ पर नियत स्थान पर अभिप्रमाणन अवश्य करायें।	7.	43-48
10. यदि आप किसी प्रश्नोत्तर को रद्द करना चाहें तो आर-पार क्रॉस कर [X] काट दें तथा उसपर रद्द लिखें।	8.	
11. प्रश्नान्तर निर्देशानुसार ही दें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नान्तर अंकित पाये जायेंगे, तब आरंभ में निर्धारित संख्या तक आने वाले प्रश्नान्तर ही मूल्यांकित किये जायेंगे और शेष की उपेक्षा कर दी जायगी।	9.	
12. प्रश्न प्रश्न का उत्तर पूरा लिखने के बाद ही दूसरा प्रश्नान्तर लिखें।	10.	
13. कम्प्यूटर उत्तरपत्र सूची में अपने नाम के समक्ष उत्तरपुस्तिका की संख्या अवश्य लिखें और हस्ताक्षर करें अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जायगी।	11.	
14. पुस्तक को जीनोटम आदि परीक्षा कक्ष से बाहर निश्चित स्थान पर ही रखें।	12.	
15. परीक्षा कक्ष में यदि कोई पुस्तक/उत्तर सामग्री आपकी वसूली होगी या आप वसूल करते/कराये/बातचीत करते/दुर्व्यवहार करते पाये गये तो परीक्षा कक्ष से तत्क्षण बहिष्कृत किये जायेंगे; आयोग द्वारा अतिरिक्त रूप में भी दंडित किये जा सकेंगे और विहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1985 के उपबंधों के अधीन दंडित किये जा सकेंगे।	13.	
16. उत्तर पुस्तिका सौंप कर ले लिये जाने के बाद ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलें।	14.	
17. परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन बर्जित है।	15.	
18. परीक्षा कक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।	16.	
	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
	कुल [अंको में] TOTAL [IN FIGURES]	
	कुल [शब्दों में] TOTAL [IN WORDS]	
	परीक्षक EXAMINER	प्रधान परीक्षक HEAD EXAMINER
	B	70202328

1. Write short answers to the following questions:

निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए:

(a) Explain how the preamble of the Indian Constitution highlights the importance of the Constitution. 8

बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के महत्व की बताती है?

हमारा संविधान निर्माण हेतु पहली
बैठक 09.12.1946 को किया गया था। दिनांक
13.12.1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया
वह जिसे संविधान सभा 22.01.1947 को
स्वीकृत कर लिया गया।

उद्देशिका के कुछ अंग इस प्रकार हैं:-

‘हम भारत के लोग’ भारत को
सर्वप्रभुत्वपूर्ण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
भारत के संघर्ष नागरिकों को
समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय,<
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास
एवं उपासना की स्वतंत्रता
तथा समानता एवं धन्यत्व

Bihar Naman Publication, Patna

जो भी
उपरोक्त
वही है
सर्वोच्च
पुरुष
मार्ग से
शुद्धता को

उपरोक्त चित्र उद्देशिका के का महत्व इस प्रकार है।

- (i) सामाजिक न्याय:-
समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाना संविधान का लक्ष्य है।
- (ii) आर्थिक न्याय
भारत का संविधान सभी लोगों को आर्थिक न्याय देने के उद्देश्य से कार्य करता है।
- (iii) राजनीतिक न्याय
भारत का कोई भी नागरिक अपना मत दे सकता है एवं चुनाव में प्रतियोगिता के रूप में भाग ले सकता है।
- (iv) देश के समस्त नागरिकों को उद्देशिका के अनुसार मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिससे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना में स्वतंत्रता है।
- (v) देश के नागरिकों के बीच वंचितों को भावना एवं समानता द्वारा संविधान में उद्देशिका से ही मिली जाया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान उद्देशिका को ध्यानपूर्वक तब मानकर कार्य करती है।

(4)

(b) Is criminalization occurring in Bihar politics? Examine.

8

क्या बिहार की राजनीति पर अपराधीकरण हो रहा है? परीक्षण कीजिए।

बिहार में संसदीय व्यवस्था की
कुल संख्या 203 है। हमारे संसद, विधान
सभा और जनप्रतिनिधि निकाय के रूप
अपने ऊपर कैस के बारे में जानकारी
है।

निजी कंपनी PRS web site के
अनुसार बिहार के जनप्रतिनिधिकरण पर
बहुत गंभीर चार्ज की बात सामने
आ रही है। इसके अलावा बताया गया है
कि 23-1, जनप्रतिनिधि पर रैप, मर्डर, लू
ट्टा आदि गंभीर चार्ज हैं। ऐसे
जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीतकर आते
हैं तो अपने लोगों को
संरक्षण प्राप्त करवाने के लिए थानों,
सं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों
पर दबाव बनाते हैं जिनसे अपराध
युक्तों के बचाव बढ़ा ही जा रहा है।

Bihar Naman Publication, Patna

सरकार ने अपराधियों पर लगाए
लगाए के लिए थानों में बहुत सुविधा
प्रदान की है लेकिन उसका असर
बिहार में राजनीति में अपराधीकरण को
रोकने में सफल नहीं हो रहा है। समाज
में डबका होने का एक स्टेप सिंगल
बन गया है।
इसी स्टेप सिंगल के कारण डबका
जल्दी राजनीति में आ जाते हैं।
हालांकि यह पूर्व जमाने
से कम देखने को वर्तमान समय में
मिल रहा है। कुछ पार्टीजो ने यह चोखप
भी की है कि अपराधी जल्दी जल्दी
को ठिकर नहीं दिया जाएगा।

अंततः हम कह सकते हैं कि
आपसी के समय हमारे राजनेता एवं वर्तमान
के राजनेता में अपराधीकरण को लेकर
काफ़ी अंतर है।

पुल को पहने
सामान्य
मित्र

(c) In what way will the domicile policy affect the politics of Bihar? Describe. 8

डोमिसाइल नीति किस रूप में बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? वर्णन कीजिए।

डोमिसाइल नीति का अर्थ होता है
कि उस राज्य का जो लोग के लिए कुछ
स्पेशल प्रावधान करना। जैसे
शारधंड सरकार सरकारी नौकरियों में
65-90 +. लोगों तक स्थायी लोगों के लिए
ही रिजर्व किए हुए हैं। उसी प्रकार
हरियाणा एवं UP की सरकारों भी इसका
अनुसरण किए हैं।
लेकिन बिहार में डोमिसाइल
नीति लागू नहीं की गई है। बिहार में
डोमिसाइल नीति के लागू होने के संभावना
प्रमाण :-

(9) शेजगार में वृद्धि :-
वर्तमान समय में बिहार में 50 + (595700)
के लिए लीट आवेदनियां 10 + EWS के लिए
आवेदन हैं। उन्होंने वाद कोई भी
बिहार के वादों को नहीं माना है। इससे आप

मेरिट का सकता है

डोमिनैन्स नीति लागू होने से

बिहार के लोगों की अधिक-से-अधिक

संख्या में रोजगार मिल सकेगा जिससे

बिहार से बाहर परमाणु में कमी आएगी।

डोमिनैन्स नीति लागू होने के नकारात्मक प्रभाव:-

(१) भोजप उपरि का पटना:-

एक लीटे बिहार के लोगों

के लिए आरक्षित हो जायगी तो उसी में

ही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जिससे

कहीं न कहीं मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा।

इसका सरकार द्वारा लिए गए

100+ डोमिनैन्स नीति को उन्मुख मान्य

नहीं करते हुए खारिज कर दिया कि महत्

एक Federal Scheme बनाई है। इस नीति

को लागू करना अभी नहीं है।

निष्कर्ष:- हम कह सकते हैं

कि डोमिनैन्स नीति बिहार की राजनीति

को सकारात्मक रूप से ही प्रभावित करेगी

जिससे यहां के युवा निवासियों को आपस होगा।

(5) =

(d) Judicial interpretation of the right to life.

जीवन जीने के अधिकार की न्यायिक व्याख्या कीजिए।

भारतीय संविधान के भाग-3 के
अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत
अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार
का वर्णन किया गया है।

यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के सभी
नागरिकों का प्राण स्वच्छ, स्वतंत्र है
इसका तात्पर्य है यह हुआ है
कि सभी व्यक्तियों को अपने प्राण
शरीर की स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है

इसकी न्यायिक व्याख्या निम्न है
मेनका गैंगूली बनाम भारत सरकार 1978:-

भारत सरकार ने पाँच
के नाम पर मेनका गैंगूली का पारपोर्ट
सीज कर लिया था ताकि यह विदेश न
जा सके।

संविधान के Art 32 के तहत मेनका
गैंगूली ने Art 22 के तहत

70th BPSC Mains Test Series

Bihar Naman GS, Patna

अधिकार वा हक्का क्षेत्र छुट
उच्चतम न्यायालय मे शीट माफिम डाफिम
मे ।

उच्चतम न्यायालय ने मेनमा गोप्य
के रिट माफिम की समीक्षा उपरान्त
उठका जादपोर्ट दितीस कहे मे
आदेश दिया तथा यह बताया कि
किसी व्यक्ति के जीक जीने मे अधिकार
के संरक्षित सी कही पर व्युत्पन्न यह पता
मे शामिल है।

5

भारत और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था ...

(e) Discuss the role of regional politics in Bihar.

7

बिहार में क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका की चर्चा कीजिए।

बिहार का वैशाली लोकतंत्र भी
जन्मी रहा है। यह बात भी क्षेत्रीय
राजनीति से अलग नहीं है। क्षेत्रीय
राज्य का अर्थ होता है राज्य स्थायी
स्तर।

बिहार में प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी निम्न हैं।

(a) राष्ट्रीय जनता दल

(b) जदयू

(c) हम

(d) विकासशील दल पार्टी

(e)

यह सभी पार्टी अपने क्षेत्र
अपने बिहार के लोग एवं इन प्रदेश
का केंद्र बना है इन पर कार्य करते हैं
इन्होंने इनका कुछ स्पेशल
पुड्डा भी है।

जो हैं:-

(i) विकासशील दल पार्टी प्रस्तावित

कई SC ने शान्ति करने हेतु राजनीति करने हैं।

(11) हम के मुखाजी जीताराम मांझी SC ने SC में उपवर्गीकरण की बगल कटवाई है।

(12) जगता राम धु बिहार की उपरि उन्नति के लिए बिहार की स्पेशल दर्जा की मांग करता है।

(13) राजीव जगता राम आरझा उपवर्ग्य वर्गों की बगल करता है।

बिहार में अन्य सभी जाति अपने जाति से जाति के विकास के संघ में ही राजनीति करते हैं कुछ वर्षों में पहले उपेक्षित जाति भी बिहार में केन्द्रीय विद्यालय खोलकर भी लिए चलाने पर शुरू हुए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में राजीव जाति अपने लोकोत्कर्ष मुद्दों पर ही राजनीति करते हैं।

(4)

इसे और बेहतर लिखा है